& advances

ऋण तथा अग्रिम के प्रकार

- गृह निर्माण/क्रय अग्रिम
- गृह मरम्मत/विस्तार अग्रिम
- मोटर कार अग्रिम
- मोटरसाईकिल/स्कूटर/मोपेड
- साईकिल
- व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम

गृह निर्माण/क्रय अग्रिम

- **अग्रिम की शर्त**– स्थाई कर्मचारी हो अथवा अस्थायी कर्मचारी कर स्थिति में 03 वर्ष की सेवा हो चुकी हो

- **स्वीकर्ता प्राधिकारी**– विभागाध्यक्ष

- **अनुमन्य धनराशि**– अधिकतम रू 7.50 लाख

- **अग्रिम वसूली की किस्तें**– ब्याज सहित अधिकतम 240 मासिक किस्तों में

गृह मरम्मत / विस्तार अग्रिम

- **अग्रिम की शर्त**– भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत होने के 5 वर्ष पश्चात

- **स्वीकर्ता प्राधिकारी**– विभागाध्यक्ष

- **अनुमन्य धनराशि**– अधिकतम रू 1.80 लाख

- **अग्रिम वसूली की किस्तें**– ब्याज सहित अधिकतम 120 मासिक किस्तों में

मोटर कार अग्रिम

- **अग्रिम की शर्त** – सरकारी सेवक जिसका मासिक वेतन न्यूनतम 10500/– हो
- **स्वीकर्ता प्राधिकारी** – विभागाध्यक्ष

- **अनुमन्य धनराशि** – 11 माह का मूल वेतन या रू0 180000/–या वाहन का मूल्य जो भी कम हो

- **अग्रिम वसूली की किस्तें** – ब्याज सहित अधिकतम 200 मासिक किस्तों में

मोटरसाईकिल/स्कूटर/मोपेड

- **अग्रिम की शर्त**– सरकारी सेवक जिसका मासिक वेतन न्यूनतम रू0 4500/–हो

- **स्वीकर्ता प्राधिकारी**– विभागाध्यक्ष

- **अनुमन्य धनराशि**– 6 माह का मूल वेतन या रू0 30000/–या वाहन का मूल्य जो भी कम हो

- **अग्रिम वसूली की किस्तें**– ब्याज सहित अधिकतम 70 मासिक किस्तों में

साईकिल

- **अग्रिम की शर्त**– सरकारी सेवक जिसका मासिक वेतन अधिकतम रू 5000/–हो

- **स्वीकर्ता प्राधिकारी**– कार्यालयाध्यक्ष

- **अनुमन्य धनराशि**– रू0 1500/– या साईकिल का मूल्य जो कम हो

अग्रिम वसूली की किस्तें– ब्याज सहित अधिकतम 30 मासिक किस्तों में

व्यक्तिगत कम्प्यूटर अग्रिम

- **अग्रिम की शर्त**– मोटर कार अग्रिम हेतु पात्र सरकारी सेवक को
- **स्वीकर्ता प्राधिकारी**– विभागाध्यक्ष
- **अनुमन्य धनराशि**– अधिकतम रू 45000/–
- **अग्रिम वसूली की किस्तें**– ब्याज सहित अधिकतम 150 मासिक किस्तों में

उपरोक्त सभी प्रकार के अग्रिम स्थाई कर्मचारियों के साथ ही साथ ऐसे अस्थाई कर्मचारियों को भी अनुमन्य हैं जो तीन वर्षो या उससे अधिक अवधि से अस्थाई चले आ रहे हैं व तैनाती की तिथि से निरन्तर कार्य कर रहे है,

अर्थात सेवा में व्यवधान नहीं है तथा कार्य एवं आचरण संतोषजनक है।

तदर्थ तथा संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अग्रिम अनुमन्य नहीं है।

अस्थाई सरकारी सेवकों को भवन निर्माण/मरम्मत/क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किये जाने की दशा में दो स्थायी राज्य सेवकों, जो अग्रिम तथा उस पर देय ब्याज की सम्पूर्ण अदायगी होने तक की अवधि से पूर्व सेवानिवृत न होने वाले हों, की ओर से फार्म 25 डी में बाण्ड प्रस्तुत करके जमानत देनी होगी। सम्बन्धित राजसेवक के स्थाईकरण के बाद स्थायी सेवकों द्वारा दी गयी जमानत स्वतः समाप्त हो जायेगी।

किसी कर्मचारी को उसके सेवाकाल में भवन निर्माण/क्रय अग्रिम नियमानुसार एक ही बार अनुमन्य है। अतः एक बार से अधिक उक्त अग्रिम स्वीकृत नहीं किये जा सकते हैं।

भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत करने के पाँच वर्ष के पश्चात ही भवन मरम्मत/विस्तार अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है।

5 वर्ष की गणना उस तिथि से की जाती है जिस तिथि से भवन–निर्माण/क्रय हेतु स्वीकृत अग्रिम की संपूर्ण धनराशि में से कम से कम दो तिहाई धनराशि आहरित कर ली गई है।

भवन निर्माण/क्रय विस्तार अग्रिम यदि एकमुश्त स्वीकृत किया जाता है तो वसूली धन के आहरण के बाद मिलने वाले दूसरे वेतन से प्रारम्भ की जानी चाहिए।

यदि अग्रिम का आहरण एक से अधिक किश्तों में किया जाता है तो प्रथम किश्त की वसूली आहरण के बाद मिलने वाले चौथे वेतन से प्रारम्भ की जानी चाहिए।

ब्याज का आगणन प्रत्येक माह के अंतिम दिन के मूलधन–अवशेष के आधार पर किया जाता है।

अग्रिमों पर ब्याज की गणना प्रत्येक माह के रिड्यूसिंग बैलन्स के योग को आधार मानकर निम्न सूत्र के माध्यम से किया जाता है–

$$\text{ब्याज} = \frac{\text{रिड्यूसिग बैलन्स का योग} \times \text{ब्याज की दर}}{1200}$$

वित्तीय नियम संग्रह खंड–पाँच भाग–1 के प्रस्तर 242 के नीचे दिये गये नोट संख्या 2 के अनुसार किसी सरकारी सेवक की असामयिक मृत्यु की दशा में कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिम में से यदि किसी भाग की वसूली शेष रह गयी हो तो कर्मचारी के आश्रितों के देय मृत्यु आनुतोषिक अथवा अवकाश वेतन से अग्रिम के शेष भाग की वसूली की जायेगी।

शासनादेश संख्या बी–3–4086/दस–94–20(24)/92 दिनांक 31–10–1994 के अनुसार सेवाकाल में राज्य कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उनके द्वारा लिये गये भवन निर्माण/क्रय/विस्तार/मरम्मत अग्रिम पर देय ब्याज की धनराशि को माफ किये जाने की स्वीकृति

THANK YOU!